

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक 8(32)राज/वाद/14पार्ट-4

जयपुर दिनांक. 01-3-19

:: संशोधित आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.02.19 द्वारा इस विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये थे।

उक्त आदेश के क्र०सं० 2 के कालम सं० 3 में लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जोधपुर महानगर के स्थान पर जोधपुर जिला तथा क्र०सं० 3 के कालम सं० 4 में लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जोधपुर महानगर के स्थान पर जोधपुर जिला एतद्वारा संशोधित किया जाता है।

आज्ञा से

६०

(जगमोहन शर्मा)  
विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)।
2. संबंधित जिला कलक्टर, \_\_\_\_\_।
3. संबंधित कार्यालय \_\_\_\_\_।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. लेखाधिकारी, विधि (वादकरण) विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित कर्मचारी \_\_\_\_\_।
8. रक्षित पत्रावली।



(जगमोहन शर्मा)  
विशिष्ट शासन सचिव, विधि